हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणी पश्यन्तु
समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

# समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 3 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्यः प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

## रोस्टर पंजिका संधारित करने सम्बन्धी परिपत्र के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद और उप शासन सचिव जयसिंह पर अंकुश लगाने की समता आन्दोलन की मांग

जयपुर। रोस्टर पंजिका संधारित करने सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 24.02.2020 जारी करने के लिए समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है।

साथ ही परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिए समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में गहलोत को लिखा है कि आपकी सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2020 को एक परिपत्र क्र0 प0 7(2) कार्मिक/क-2/19 जारी किया गया है जिसमें सभी विभागों में नियुक्ति व पदोन्नति में आरक्षण की सुनिश्चितता के लिए पद-आधारित रोस्टर पंजिकाएँ संधारित करने एवं उनका कठोरता से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आर0 के0 सभरवाल के प्रकरण में दिये निर्णय की पालना और राज्य सरकार के पूर्व परिपत्र क्र0 एफ015 (24) कार्मिक/क-2/75 दिनांक 20.11.1997 की पालना का सच्चा प्रयास है। सामान्य/ओबीसी वर्ग के कर्मठ कार्मिकों की पीड़ा आपने समझी है। आप व्यक्तिशः साधुवाद के पात्र हैं।

आपके उपरोक्त कल्याणकारी परिपत्र क्र0 प0 7(2) कार्मिक/क-2/19 दि0 24.02.2020 की कठोर पालना सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रार्थना है कि:-

(1) प्रत्येक विभाग में पदवार नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए संधारित रोस्टर पंजिका को अनिवार्यतः ऑनलाइन (सरकारी वेबसाइट्स पर) करवाया जावे।

(2) नियुक्ति एवं पदोन्नति के समय आरक्षित वर्ग के जिन-2 रिक्त रोस्टर पाइण्ट्स के लिए आरक्षण दिया जा रहा है उनका उल्लेख नियुक्ति/पदोन्नति कार्यवाही शुरू करते वक्त ही विभागीय वेबसाईट एवं विज्ञप्ति के जरिये किया जाना अनिवार्य बनाया जावे।

साथ ही पत्र में लिखा गया कि आपकी जानकारी में हम लाना चाहते हैं कि कार्मिक-क (2) विभाग में पदस्थापित श्री जय सिंह नामक उप-शासन सचिव अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु उच्चाधिकारियों को गुमराह करके लगातार ऐसे अन्तर्विभागीय निर्देश जारी कर रहे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के विरूद्ध होने के साथ-साथ राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.11.1997, 11.09.2011 एवं 26.07.2017 के विरूद्ध हैं। इनकी भ्रष्टाचारपूर्ण करतूतें राज्य के सामान्य/ओबीसी वर्ग के कर्मठ लोकसेवकों में राज्य सरकार की छवि को जातिवादी, पक्षपाती एवं अत्याचारी बना रही हैं। अतः कार्मिक-क (2) में उपशासन सचिव पद पर आसीन श्री जयसिंह को तत्काल इस पद से हटाया जावे तथा हमें इनके विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही करने की अनुमति दी जावें।

यदि आप उक्त तीनों कार्यवाहियाँ करते हैं तो राज्य सरकार के विरूद्ध होने वाले अनावश्यक विधिक विवादों में कमी आयेगी, राज्य सरकार की छवि न्यायप्रिय सरकार की बनेगी, श्री जयसिंह जैसे स्वार्थी अधिकारियों की भ्रष्ट करतूतों पर रोक लगेगी। इस पत्र की प्रति सभी माननीय विधायकों को भी भेजी गई है।

समता आन्दोलन समिति ने एक अन्य पत्र मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं सभी आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस एवं आर.पी.एस. को भी भेजा गया है जिसमें श्री जयसिंह द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-2/17 पार्ट दिनांक 12.09.2019, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न विधिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना के साथ-साथ राजस्थान सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों का भी उल्लंघन है। अतः समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में इनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167, एवं 120बी के अधीन इनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है। पत्र में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आर के सभरवाल के प्रकरण में दिये गये निर्णय एवं इसकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा रोस्टर रजिस्टर संधारण के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एक बार रोस्टर में अजा/अजजा के लिए आरक्षित रोस्टर पॉइन्ट आरक्षित वर्ग के लिए व्यक्तियों से भर जाने के बाद रिपलेसमेंन्ट सिद्धान्त को लागू किया जाना अनिवार्य है। अतः अजा/अजजा के रोस्टर पाइंट भर जाने के बाद आरक्षण का लाभ लेकर सेवा में आये अजा/अजजा के किसी भी लोकसेवक को सामान्य/ओबीसी वर्ग के रोस्टर पाइंटस पर किसी भी सूरत में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। कृपया उपरोक्त संविधान पीठ के निर्णय का पैरा-6 का अवलोकन करे।

(2) राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय की पालना के लिए अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 को जारी करके सभी विभागीय प्रमुखों को "पोस्ट बेस्ड रोस्टर सिस्टम विथ इनबिल्ट रिप्लेसमेंट सिद्धान्त" के अनुसरण बाबत पाबन्द कर दिया था।

(3) राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2011 जारी करके सभी विभागीय प्रमुखों को बाध्यकारी निर्देश दिये गये थे कि यह सुनिश्चित किया जावें कि कहीं भी किसी भी सूरत में अजा/अजजा के लोकसेवकों की संख्या उनके रोस्टर पाइंट से अधिक नहीं हो। यदि दिनांक 11.09.2011 से पहले किसी कारणवश यह अधिक हो गये है तो इन्हें तत्काल एडहोक कर दिया जावें। स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों की संख्या किसी भी सूरत में रोस्टर पाइंट से अधिक नहीं होने की पाबंदी लगा दी गई थी।

(4) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2017 के अनुसार आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी यदि फीस के अलावा किसी भी स्तर पर कोई भी आरक्षण का लाभ या छूट प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी सूरत में कभी भी सामान्य पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है।

(5) नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नही है। इसके विपरीत अनुच्छेद 16(4)। में आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को कुछ शर्तों के अधीन परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का प्रावधान अनुच्छेद 16(4)। में किया गया है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ देने की कोई मंशा नही है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु दुराशय पूर्वक अपने पद का दुरूपयोग करते हुये ऐसी कार्यवाहियाँ की जा रही है और ऐसे दस्तावेजों की रचना की जा रही है जिनसे प्रदेश के निष्ठवान लोकसेवकों को अकारण ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार की छवि को जातिवादी/पक्षपाती/अत्याचारी प्रदर्शित किया जा रहा है, राज्य सरकार के विरूद्ध अनावश्यक विधिक विवादों को बढाया जा रहा है और राज्य सरकार के सकल लोक प्रशासन की दक्षता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। इनके इन कृत्यों में कुछ कार्मिकों/अधिकारियों की मिलीभगत है तथा कुछ उच्चाधिकारियों को दुराशयपूर्वक गुमराह किया गया है।

श्री जय सिंह एवं उनके सहयोगियों का उपरोक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167 एवं 120बी के अधीन दण्डनीय अपराध है। एक लोक कल्याणकारी, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण एवं संविधानिक सरकार का यह पुनीत कर्तव्य है कि ऐसे आपराधिक प्रवृति के अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कठोरता से दण्डित करवाया जावे। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार हिचकिचाहट महसूस करे तो श्री जयसिंह एवं उनके साथियों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में समुचित कार्यवाही करने के लिए हमें अनुमति दी जावे।

अध्यक्ष की कलम से

## आओ देश धर्म निभायें

लोकतंत्र में चुना हुआ प्रधानमंत्री देश का धर्म होता है। उनके मुख से निकले हुए शब्द तो धार्मिक अर्थ से कही ज्यादा महत्वपूर्ण होते है। हाल ही प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर देश से सहयोग की अपील की है। समता आन्दोलन का मानना है कि हम सब देशवासी मन प्राण से कोरोना को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए वो सभी कुछ करे जो किया जाना आवश्यक है। समता आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में करबद्ध प्रार्थना है कि-

(1) कोरोना वायरस को हल्के या मजाक में ना लेवें।

(2) सरकार के निर्देषों का ना केवल गंभीरता से पालन करे बल्कि सभी से करवाऐं भी।

(3) सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, बुखार आदि होने पर तुरन्त चिकित्सक से जाँच करवायें और स्वतः आइसोलेशन का गंभीरता से पालन करें।

हमारा ये मानना है कि ये महामारी विश्व स्तर पर दस्तक दे चुकी है। हजारों लोग मौत के गाल में समा चुके है और लाखों लोग संक्रमित हैं। इस विषय में इटली से लिखा गया एक पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र के अनुसार हर नागरिक को इन कठिन दिनों में जागरूक एवं सचेत होना जरूरी है अन्यथा भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

ये समय है मानव और मानवता को बचाने का। समता आन्दोलन इस संकट की घडी में पूरी तरह प्रधानमंत्री के साथ है।

## सम्पादकीय

# महामंत्र नहीं है टैक्नोलोजी

पतन हुआ है। व्यवस्थाओं का पतन हुआ है। जाति आरक्षण से दिवालिया हुआ देश पतन की सीमा पहचानने की सामर्थ्य खो चुका है। इन हालात में देश के वरिष्ठ भाजपा नेता भूतपूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली का कथन याद किया जा सकता है- "रिटायरमेंट से पहले के फैसले, रिटायरमेंट के बाद जॉब की इच्छा से प्रभावित होते हैं-"। देखने में छोटा सा वाक्य व्यवस्थाओं के पतन का सर्वोच्च प्रमाण है। ताजा संदर्भ पूर्व सी जे आई रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत करने का है। जबकि इसी संदर्भ में जेटली का वह बयान भी याद आता है कि किसी भी बड़े पद से रिटायर व्यक्ति को दो साल बाद ही कहीं नियुक्त किया जाना चाहिये।

अब प्रश्न आता है कि इसमें जातिगत आरक्षण की भूमिका क्या है ? तो कम से कम समता आन्दोलन तो इसका प्रत्यक्ष अनुभवी है। हमारा सारा संघर्ष संवैधानिक शुचिता का है। और वह जबरदस्त आहत हुई है। देश की अदालतों ने सरकारों के खिलाफनिर्णय देने बंद कर दिये हैं। बल्कि एक हाईकोर्ट ने तो भरी अदालत में कह भी दिया था कि हम सरकारों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देंगे। परिणाम आरक्षण से सम्बंधित सारी रिटें एक तरह से अप्रभावी हो चुकी है। दूसरी बात ये कि जाति आरक्षण के कारण कम योग्य लोगों का जमावड़ा सरकार में बढ़ता गया है और योग्य लोग बाहर होते गये हैं। इसकी भरपाई करने के लिये सरकारों ने टैक्नोलॉजी को महामंत्र के रूप में अपनाया और औंधे मुंह गिरि। आज अकेले जयपुर में बैंक कार्डों से धोखाधड़ी के लगभग नो हजार केस दर्ज हैं और उनमें से एक भी सुलझा नहीं है और अब करोना वायरस ने तो देश-दुनिया की पूरी टैक्नॉलाजी व्यवस्था को ही फेल कर दिया है।

हमारा ये मानना है कि जब से लोकतंत्र बदलकर पार्टीतंत्र हुआ है तब से हल्के व्यक्तित्व और संदिग्ध चरित्र के लोग विधायिका में पहुँचने लगे हैं। ऐसे लोग निर्णय लेने की योग्यता अर्जित नहीं कर पाते हैं। इसका बुरा परिणाम होता है व्यवस्था का पतन और क्षरण। ऐसे कमजोर लोगों पर कथित इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह बरसता है जैसे वे जघन्य अपराधी हो। देश के टी वी चैनलों पर ऐंकरों के सामने नेताओं को मिमियाते हुए हम प्रतिदिन बार-बार देखते हैं। मीडिया को भी 80 के दशक में साहित्यकारों द्वारा गढ़ा गया "दलित" शब्द ऐसा हथियार मिल गया है कि उसका बार-बार विवेकहीन प्रयोग करके अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में व्यवस्था को तार-तार करना अपना कर्तव्य समझते है ?

दुनिया का साधारण और सीधा सा सिद्धांत है कि "व्यवस्था को तोड़कर व्यवस्था का लाभ नहीं लिया जा सकता है।" और व्यवस्था को नष्ट करने में जाति आरक्षण की भूमिका असंदिग्ध रूप से पहले क्रमांक पर आती है। 135 करोड़ की आबादी वाला देश बिना व्यवस्था के कैसे चल पायेगा इसकी चिंता भले किसी को न हो। हमें है। क्योंकि हम संवैधानिक शुचिता में विश्वास करते है।

जय समता।

– योगेश्वर झाड़सरिया

# अब बदल जाएगी आरक्षण बहस

अप्रत्याशित! आश्चर्यजनक ! अविश्वसनीय! सच में उत्तराखण्ड में सरकारी कर्मचारीयों में से सामान्य और ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों ने पदोन्नतियों में आरक्षण समाप्त करने के लिये जो पराक्रम दिखाया है और एकजुटता प्रदर्शित की है उसपर तत्काल विश्वास किया जाना कठिन है। हालांकि सबसे पहले समता आन्दोलन ने ही पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ बिगुल बजाया था। लेकिन हाल ही उत्तराखंड पर यह आदेश दिया कि "आरक्षण किसी का मूल अधिकार नही है बल्कि सरकार चाहे तो दे या नहीं चाहे तो नही दे" । बस इसी निर्णय को लागू करवाने के लिये वहाँ के कर्मचारी न केवल सड़कों पर उतरे बल्कि ताल ठोककर उतरे और यहाँ तक कह दिया कि सस्पेंड करो चाहे जेल में डालो। पदोन्नति में आरक्षण अब सहन नही होगा।

इस कर्मचारी जागरूकता को देखकर एक तरफ जहाँ मन में खुशी का संचार होता है वहीं दूसरी तरफटी वी चैनल्स में शामिल नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का एक दृश्य याद आता है। अफ्रीका जंगलों में नील गाय जैसा एक चौपाया हजारों की संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है। यात्रा के दौरान एक ऐसी नदी को पार करते हैं जिसमें मगरमच्छ हैं। नदी पार करने से पहले पशु नदी का पानी पीते हैं। इसी समय मगरमच्छ झपटकर किसी एक,.....पशु को पकडकर पानी में खींच ले जाते हैं और वहीं चीर-फाड़कर उसे खाते रहते हैं। बाकी पशु उसी नदी में पानी पीते रहते हैं। थोड़ी ही देर में मगरमच्छ दूसरे पशु को खींच ले जाते हैं। ये क्रम कुछ घंटों तक लगातार चलता रहता है।

ये दृष्टांत कम से कम कर्मचारियों को समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये लेकिन फिर भी बताना पड़ा। कारण स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही वह निर्णय उत्तराखण्ड के मामले में दिया हो लेकिन उसका फायदा देश के लाखों कर्मचारियों को होगा। फिर भी उत्तराखण्ड के कर्मचारियों को अकेला छोड़ दिया गया बिल्कुल पड़ोस में पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे जागरूक प्रदेश हैं जिन्होंने पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर बहुत संघर्ष किया और सफलताएं भी पाई। लेकिन अब वे चुप रहे।

> लेकिन यह भी उचित नहीं कि हम मीडिया के बहाने अपने कर्मचारी भाईयों की उदासीनता को नजर अंदाज कर दें। अदालतों में केस दाखिल करने की सक्रियता प्रायः देश के अधिकांश प्रदेशों में दिखाई दी है। लेकिन इस सच को सरकार की फाईलों से बाहर लाकर आदेशों की शक्ल में ढालने के लिए कर्मचारियों को जो प्रयास करने चाहिये थे वे समता आन्दोलन के नेतृत्व संसद मार्ग पर हुए राष्ट्रीय धरने के रूप में शिलालेख बन गया है।

दूसरी तरफ किसी भी कथित दलित को खरोंच भी लग जाने पर इलेक्ट्रानिक मीडिया ऐसा चिल्लाता है मानों 135 करोड़ जन के देश में एक वही कथित दलित रहता है। वही मीडिया उत्तराखण्ड के इतने बड़े और सफल आन्दोलन पर चुप है ? देश की जनता में ये सरकारी कर्मचारियों को अलग रखने का मीडिया के पास क्या कोई जवाब है सरकार प्रेरित मीडिया को लगता है कि देश में शाहीन बाग के अलावा जैसे कोई मसला ही नही है ? इस दौरान प्रिंट मीडिया ने अपने धर्म का निर्वाह किया और बड़ी-बड़ी खबरें लगाकर सरकार को जगाने का अपना प्रयास इमानदारी से किया है।

लेकिन यह भी उचित नहीं कि हम मीडिया के बहाने अपने कर्मचारी भाईयों की उदासीनता को नजर अंदाज कर दें। अदालतों में केस दाखिल करने की सक्रियता प्रायः देश के अधिकांश प्रदेशों में दिखाई दी है। लेकिन इस सच को सरकार की फाईलों से बाहर लाकर आदेशों की शक्ल में ढालने के लिए कर्मचारियों को जो प्रयास करने चाहिये थे वे समता आन्दोलन के नेतृत्व में संसद मार्ग पर हुए राष्ट्रीय धरने के रूप में शिलालेख बन गया है। हालांकि उसके एक दिन बाद ही यू. पी. के कर्मचारियों ने उसी स्थान पर अलग से धरना दिया गया था।

सरकारें जानती हैं कि कर्मचारी नेताओं का स्वार्थ और अहंकार बहुत ही कम स्तर का होता है। इसीलिये वे कर्मचारियों को साधारणतः गंभीरता से नहीं लेती है। दुखद बात ये है कि आरक्षण आन्दोलन के नाम पर पूरे देश में कर्मचारियों का जो नया नेतृत्व खड़ा हुआ उसे दो स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता रहा है। पुराने और जमे-जमाये सरकारी कर्मचारी संगठनों और सरकार की मिलिभगत के कारण जेब में उसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही आया।

उत्तराखण्ड के पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के आंदोलन का सुखद परिणाम आ गया है। वहां कर्मचारी जीत गये है। सरकार ने मान लिया है कि अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। इसका लाभ पूरे देश के कर्मचारियों और अधिकारियों को होगा। यह घटना पूरे देश में फैले कर्मचारी आन्दोलनों के लिए संजीवनी का काम करेगी।

–समता डेस्क

# गाय बनाम एट्रोसिटी एक्ट

जैसी कि सम्भावना थी कि 'एट्रोसिटी एक्ट-2018' के दुरूपयोग की संभावना है के संदर्भ में एक और केस सामने आया है। अहमदाबाद शहर के ओघव इलाके में घबराकर दौड़ती हुई गाय ने पांच साल की बच्ची को सींग मारकर घायल कर दिया। और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की साजिश और एससी/एसटी एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया है।

घटनाक्रम के अनुसार हितेन्द्र परमार नाम से लड़की के पिता ने बताया कि रात 8:30 आशीष देशान्द और अमृत देसाई मोटरसाइकिलों पर चलते गायों को हांकते ला रहे थे तभी एक गाय ने बिदककर लड़की को सींग मार दिया तो स्थानीय लोगों व हितेन्द्र परमार द्वारा विरोध करने पर कहा सुनी बढ़ गई।

बाद में शारदाबेन अस्पताल में लड़की के फैक्कर को देखते हुए पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। जांच आगे चल रही है।

# अम्बेडकर अब गांधी-पटेल के समकक्ष!

महात्मा गांधी के जन्म व कर्म प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद शहर की पुलिस ने आदेश जारी करके व्यवस्था की है कि शहर के सभी थानों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र या मूर्तियाँ लगाई जायेंगी।

71 वें गणतंत्र दिवस पर जारी परिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले डी सी पी विजय पटेल ने बताया कि 14 अप्रैल को डॉ. अम्बेडकर के जन्म के अवसर पर सम्मान प्रकट करने के लिए यह किया जा रहा है।

इसके लिये प्रदेश की होम मिनिस्ट्री ने आदेश भी जारी किये है कि अभी तक सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के चित्र लगे थे अब अम्बेडकर के भी लगेंगे। बड़े अधिकारियों में पुलिस कमिशनर आशीष भारिया ने भी माना है कि ये सर्कुलर जारी किया गया है।

इससे पहले केन्द्र सरकार ने भी सर्कुलर जारी करके अपने कार्यालयों में अम्बेडकर के चित्र लगवाये है।

# मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण

उत्तरप्रदेश की तरह मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए 23 जुलाई को सदन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।

पूर्व सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विधेयक पेश किया। उन्होंने विधायकों के सुझाव पर अति पिछड़े लोगों के लिए कैटेगरी तय करने की बात भी कही। राज्य में इस वर्ग के लिए अभी 14 प्रतिशत आरक्षण है।

ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद राज्य में अब 73 फीसदी आरक्षण हो जाएगा। अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी और गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण है।

**पौराणिक कथन : 'कुंभकरण'**

विश्रवा मुनी और राक्षसी
कैकसी का पुत्र लंकापति रावण
का छोटा भाई।
कुंभ-निकुंभ का पिता।

सुनो व्यवस्था करने वालों,
जांत पांत का पल्ला छोड़ो।
आरक्षण वालों से कह दो,
हिम्मत है तो खुलकर दौड़ो।।

## कविता

# अपने उनसे ऊब गये हैं

जो आरक्षण–आरक्षण करते,
अपने में ही डूब गये हैं।
सोच नहीं पाते हैं अब वे,
अपने उनसे ऊब गये हैं।
बैसाखी पर चलने वाले,
कच्चे सांचे ढ़लने वाले,
देश धर्म को छलने वाले,
जूठन खाकर पलने वाले,
देखो तनिक ध्यान से देखो–
वे स्वार्थ में डूब गये है।।
जो आरक्षण–आरक्षण करते,
अपने में ही डूब गये हैं।
आजादी पर मरने वाले,
अंग्रेजों से लड़ने वाले,
कांटों के पथ चलने वाले,
पक्के सांचे ढलने वाले,
शांत मौत अपनाने वाला
हर सेनानी भूल गये हैं।
जो आरक्षण–आरक्षण करते,
अपने में ही डूब गये हैं।
काल किसी को नहीं छोड़ता,
मिल जाने पर जबर तोड़ता,
दुष्टों को ले कांख दौडता,
फिर जैसे बादाम फोड़ता,
आरक्षण के पालतू सुन लें–
उनके अपने ऊब गये हैं।।
जो आरक्षण–आरक्षण करते,
अपने में ही डूब गये हैं।
अभी न हमको भेड़ समझना,
कभी न जीवन पलक झपकना,
जीवन की इस समर भूमि में–
कायर पहले खूब गये हैं।।
जो आरक्षण–आरक्षण करते,
अपने में ही डूब गये हैं।
सोच नहीं पाते हैं अब वे,
अपने उनसे ऊब गये हैं।

– प्रदीप सिंह –

# शिक्षा में आरक्षण : अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गतांग से आगे:–

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो यही मानकर चल रहा है कि भले ही पूर्व-स्नातक परीक्षा में उन्हें आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है; लेकिन चूँकि पाठ्यक्रम के दौरान वे अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। चूँकि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद उन्हें एक जैसी परीक्षा ही उत्तीर्ण करनी पड़ती है, अतः उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के एक वर्ग में ही शामिल किया जाना चाहिए। बिलकुल! लेकिन जब उन्हें एक ही वर्ग में शामिल किया जा रहा है तो स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में उन्हें अलग से आरक्षण देने का क्या औचित्य है? सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का जो उत्तर देता है, उससे पता चल जाता है कि वह स्वयं अपने ही कथन, अपनी ही धारणा को लेकर कितना कम आश्वस्त है।

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है– "पहली बात तो यह है कि जिस मान्यता अथवा धारणा के आधार पर यह तर्क रखा गया है, वह स्वयं ही निराधार और अस्वीकार्य है स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण का सहारा लेनावाला कोई अभ्यर्थी जरूरी नहीं है कि एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में भी आरक्षण के बल पर ही प्रवेश पा सकता है। हो सकता है कि वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत यानी बिना आरक्षण का लाभ लिये अपनी योग्यता के बल पर प्रवेश पा ले; लेकिन चूँकि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की प्रतियोगिता (परीक्षा) अत्यधिक कड़ी होती है, अतः उसे आरक्षण का लाभ लेना पड़ सकता है।"

इस नए नियम-निरूपण से भी दो बातें सामने आती है। पहली बात, वाक्य का अंतिम हिस्सा स्वयं ही यह स्वीकारोक्ति प्रकट करता है कि यद्यपि आरक्षण कोटे के अंतर्गत पाने वाले अभ्यार्थी को भी पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम में वही सब कुछ सीखने-पढ़ने को मिला है, जो अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिला है, लेकिन इसके बावजूद वह विषय पर अपनी पूरी पकड़ नहीं बना सका, इसलिए उसे आगे के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण का सहारा चाहिए; न्यायालय की यह स्वीकारोक्ति उसके अपने ही तर्क का खंडन करती है।

दूसरी बात, माना इस श्रेणी के छात्रों को आरक्षण के जरिए पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला है, अन्य(सामान्य) श्रेणी के छात्रों को नहीं–ऐसे में हमारे पास यह नियम क्यों नहीं हो सकता कि पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ प्राप्त करनेवाले छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण के हकदार नहीं होंगे?

खैर, सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है, "दूसरी बात, अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।" लेकिन आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंततः एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।" लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंततः एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायालय के पास इसका सोचा-समझा उत्तर है–"सीमा का निर्धारण कहाँ करना है, यह देखना कानून का नहीं बल्कि सरकार का काम है, जिसके लिए वह समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीति तैयार करता है।" जी हाँ, यह उसी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है जिसने एक नहीं, कई मामलों में सीमा का निर्धारण किया है?

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं के ही नियम-निरूपण की ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई, जो उसने इंदा साहानी मामले में तैयार किया था–कि कुछ क्षेत्रों में उच्च स्तर पर आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता।उसने स्वयं ही कहा था–

अनुच्छेद 35 के संदर्भ में हमारा मानना है कि सेवाएँ और पद ऐसे हैं, जिसमें पूर्वाह्निखित योग्यत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थितियों में आरक्षण का नियम लागू करना ठीक नहीं है।उदाहरण के लिए, अनुसंधान एवं विकास संगठनों/विभागों/संस्थानों में तकनीकी पद, औषधि, अभियांत्रिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ का पद तथा भौतिक विज्ञान व गणित आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ का पद और इसी तरह, रक्षा सेवाओं एवं उनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों में इसी तरह, उच्च स्तर के पदों के मामले में, जैसे-प्राध्यापक (शिक्षा-क्षेत्र में), इंडियन एयरलाइंस में विमान चालक, परमाणु एवं अंतरिक अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के मामले में आरक्षण का नियम अपयुक्त नहीं है।

अतः हमारा मानना है कि कुछ विशेष सेवाओं में, और उनमें भी कुछ विशेष पदों के संदर्भ में, आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। इन विशेष सेवाओं और पदों में से कुछ इस प्रकार हैं–1.रक्षा सेवाओं में सभी तकनीकी पद, असैनिक पदों को छोड़कर; 2 परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विज्ञान सहित अनुसंधान एवं विकास संगठनों में सभी तकनीकी पद तथा रक्षा उपकरणों का उत्पाद करनेवाले सभी संगठन; 3.प्राध्यापक का शैक्षिक पद; 4. औषधि, अभियांत्रिकी एवं अन्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में विशेषज्ञ का पद; 5.इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में पायलट एवं सहायक पायलट का पद। यह सूची केवल उदाहरण के तौर पर है। यह निश्चित करना सरकार का कार्य है कि किस सेवा/विभाग/पद के मामले में आरक्षण का नियम लागू किया जाए और किसमें नहीं; लेकिन इसके आधार पर 13 अगस्त, 1990 के कार्यालय ज्ञापन को स्थागित अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इंद्रा सहानी मामले में की गई अपनी इस टिप्पणी में सर्वोच्च न्यायालय ने दो बार जोर देकर कहा है कि आरक्षण के लिए अनुपयुक्त पदों/सेवाओं/व्यवसायों की जो सूची वह प्रस्तुत कर रहा है, वह केवल उदाहरण के तौर पर है– "इन विशेष सेवाओं/पदों में से कुछ इस प्रकार हैं....।" और "यह सूची केवल उदाहरण के तौर पर है।"

यही तो विचारणीय बात है;यदि पायलट और उप-पायलट के पदों को केवल इसलिए आरक्षण से बाहर रखा जाता है कि इनमें योग्यता-कुशलता स्तर में थोड़ी सी भी ढ़ील देने से सैकड़ों जाने खतरे में पड़ सकती हैं तो आखिर उन कर्मचारियों के मामले में इस योग्यता व कुशलता स्तर में किस तर्क के आधार पर ढ़ील दी जा रही है, जो जमीन पर रहते हुए उस विमान का निर्माण करते हैं, उसे उड़ने लायक बनाते है–जैसे अभियंता? या जो हवाई अड्डों पर वायु यातायात का नियंत्रण करते हैं और पायलटों को निर्देश देते हैं? या सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षाकर्मी यात्रियों के सामानों की जाँच करते हैं ?

इसके अतिरिक्त, रेलगाड़ियों को नियंत्रित-संचालित करनेवाले कर्मचारियों का काम क्या इससे कम उत्तरदायित्व पूर्ण होता है? इसी तरह चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र को लें–क्या विशेषज्ञता है और क्या नही है?

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी को विशेषज्ञता तथा अति-विशेषज्ञता क्षेत्र के रूप में उल्लिखित किया गया है, जहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या पीडियाट्रिक(व्दबवसवहल) या नवजात शिशु की देखभाल में इनसे कम कुशलता या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है ?

... शेष अगले अंक में

**अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार**

## अपील

# ''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु विज्ञापन

समता आन्दोलन भारत का सबसे बड़ा समतावादी गैर-राजनैतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भाग | रू. 2,50,000/- |
| 2 | अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग | रू. 1,50,000/- |
| 3 | स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ | रू. 1,00,000/- |
| 4 | स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ | रू. 50,000/- |
| 5 | स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ | रू. 30,000/- |
| 6 | स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ | रू. 50,000/- |
| 7 | स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ | रू. 25,000/- |
| 8 | स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ | रू. 15,000/- |

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, वीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, श्री.एम. डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है। कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

# उत्तराखण्ड में अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं, हड़ताल समाप्त

उत्तराखंड शासन ने आखिरकार हड़ताली कर्मचारीयों की बात मानते हुए पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी हैं साथ ही 5 सितंबर 2012 का शासनादेश प्रभावी हो गया है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करते हुए विभागीय पदोन्नति के आदेश जारी किए गए थे। इससे 30 हजार कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसके बाद उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी।

प्रदेश में जनरल-ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने और प्रदेश सरकार द्वारा पदोन्नति पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे।

कर्मचारियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने हड़ताली कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया।

इस दौरान उन्होंने पदोन्नति पर लगी रोक हटाने पर सहमति जताई, हालांकि कर्मचारी अन्य मांगों पर भी सहमति की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्य सचिव ने केवल एक ही बिंदु पर अपनी सहमति देने की बात कही। इसके बाद कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री की सचिव राधिका झा ने कर्मचारियों से वार्ता की । उन्होंने आश्वासन दिया कि पदोन्नति पर लगी रोक हटाने का आदेश तुरंत जारी कर दिया जाएगा।

### नहीं होगी कोई कारवाई

हड़ताल की अवधि के दौरान कर्मचारियों पर कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाई नहीं की जाएगी और इस अवधि का उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। इसके बाद शासन ने आदेश जारी कर दिया।

*समता ज्योति के स्वामित्व तथा अन्य जानकारी से संबंधित विवरण*

फार्म-4

(नियम 8 देखिए)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रकाशन स्थान | : | 68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर । |
| 2. | प्रकाशन की अवधि | : | मासिक |
| 3. | मुद्रक का नाम | : | समता आन्दोलन समिति |
| | राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| | पता | : | 68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर । |
| 4. | प्रकाशक का नाम | : | समता आन्दोलन समिति |
| | राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| | पता | : | 68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर । |
| 5. | सम्पादक का नाम | : | योगेश्वर शर्मा |
| | राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| | पता | : | जी-3, संगम रेजिडेन्सी, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर । |
| 6. | उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी है तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार है। | : | समता आन्दोलन समिति<br>68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर। |

मैं पराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

मार्च, 2020

पराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति

# 2021 में होगी अन्य पिछड़ी जातियों की जनगणना

**जातीय आधार पर जनगणना का खतरा है कि नेताओं का एक वर्ग इस आधार पर आरक्षण की मांग करेगा व जातियों में बंटे हमारे समाज में कई प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।**

पिछले दिनों बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाए। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में एकराय नहीं हो सकती। फिर भी किसी दल का साहस नहीं कि खुलकर विरोध करे। वैसे 1 सितंबर 2018 को नरेन्द्र मोदी सरकार ने फैसला किया था कि 2021 में अन्य पिछड़ी जातियों की गणना कराई जाएगी। उसके बाद से कई महीनों तक इस पर खूब बहस हुई। चूंकि फिर से यह मांग सामने आ गई है तो इसका विचार करना आवश्यक है क्या जाति जनगणना उचित है ?

अभी जाति के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो 1931 की जनगणना पर आधारित हैं। उसके आधार पर मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की और उसे स्वीकार कर लिया गया। 1941 में हालांकि जाति जनगणना हुई थी लेकिन उसे जारी नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने 2006 में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार देश की कुल आबादी में 41 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग की हैं। संप्रग सरकार के दौरान 2011 की जनगणना नजदीक आने के साथ यह मांग ज्यादा तेज हुई। इस पर संसद में भी बहस हुई। संप्रग सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रि समूह ने जाति आधारित जनगणना कराने की सिफारिश की थी। किंतु 2013 में पूरी हुई यह गणना, जनगणना कानून के तहत नहीं हुई। इसका नाम दिया गया 'सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना'। यह राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक के नेतृत्व में नहीं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुई हालांकि सरकार ने इसे जारी नहीं किया।

16 जुलाई 2015 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने घोषणा की कि मोदी सरकार जातियों की संख्या प्रकाशित कर देगी। तब 46 लाख जातियां, उपजातियां, वंश, गोत्र सामने आए थे। इसके लिए नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इसे भी सार्वजनिक करना संभव नहीं हुआ।

मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना को आधार बनाया जब देश की जनसंख्या 35 करोड़ 30 लाख थी, जिसमें वे भी शामिल थे जो 1947 के बाद पाकिस्तान में रह गए। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों की संख्या 52 प्रतिशत बताया था। उसने कहा था कि अगली जनगणना जब भी हो इनकी संख्या पता कर ली जाए।

यह तर्क सुनने में आसान लगता है कि जब अनुसूचित जाति-जनजाति की गणना होती ही है तो अन्य जातियों को भी हो जानी चाहिए। जाति तो कोई बता देगा लेकिन वह किस श्रेणी में आएगा इसका निर्धारण कठिन है।

एक राज्य में जो जाति अन्य पिछड़ी जाति में शामिल है वह दूसरे राज्य में और केन्द्रीय सूची में भी नहीं है। ऐसी कई जातियां, जो एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल है, वह दूसरे राज्य में और केन्द्रीय सूची में नहीं है।

सामान्यतः सवर्ण मानी गई कुछ जातियों को भी कुछ राज्यों में पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया गया है। इसलिए, यदि जातीय जनगणना होती है तो सभी जातियों की होनी चाहिए और इसमें कुछ कॉलम जोड़ना चाहिए। मसलन, आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं या नहीं, परिवार में किसी को आरक्षण का लाभ मिला या नहीं, उनकी आर्थिक स्थिती में कितना बदलाव हुआ.....।

आरक्षण से वंचित जातियों से पूछा जा सकता है कि आपके जीविकोपार्जन के साधन क्या हैं, आपकी आय में कितना अंतर आया है, परिवार की शैक्षणिक स्थिती क्या है आदि। इसके आधार पर आगे आरक्षण सहित सामाजिक न्याय के अन्य कदम उठाने का आधार प्राप्त होगा। हालांकि खतरा यही है कि तब नेताओं का एक समूह जातीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग करेगा और इसके जातियों में बंटे हमारे समाज में कई तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।

- प्रदेश के एक दैनिक अखबार से साभार -

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

**न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।**

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिन्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in